



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

प्रो. कृष्ण कुमार सिंह

PROF. KRISHNA KUMAR SINGH

कार्यकारी कुलसचिव

ACTING REGISTRAR

दूरभाष/Phone: +91 7152 230902

फैक्स/FAX: +91 7152 230903

पत्रांक : 003 / 2003 / का.आ. / 02- 59 / 2019

दिनांक : 30.08.2019

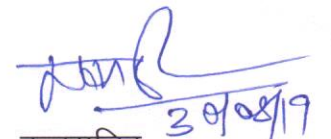
अधिसूचना

विश्वविद्यालय परिनियम 16(2) तथा शोध-अध्यादेश सं. 45/2017 व Modified as per UGC (Minimum Standard and Procedure for Award of M.Phil/Ph.D degrees) regulation, 2016 में उपलब्ध व्यवस्था (प्रावधान सं. 12.3) के अनुसरण में अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ हेतु 'विद्यापीठ अध्ययन मंडल' (School Board) का गठन निम्नानुसार किया जाता है -

1.	अधिष्ठाता	:	अध्यक्ष
2.	विद्यापीठ के अंतर्गत समस्त विभागों के विभागाध्यक्ष	:	कोई नहीं
3.	विद्यापीठ के समस्त प्रोफेसर	:	कोई नहीं
4.	विद्यापीठ के अंतर्गत सभी विभागों से एक एसोसिएट प्रोफेसर (वरिष्ठ क्रम में चक्रानुक्रमानुसार)	:	कोई नहीं
5.	विद्यापीठ के अंतर्गत सभी विभागों से एक सहायक प्रोफेसर (वरिष्ठ क्रम में चक्रानुक्रमानुसार)	:	1. डॉ. हरप्रीत कौर, अनुवाद अध्ययन विभाग 2. डॉ. मुन्नालाल गुप्ता, प्रवासन एवं डायस्पोरा अध्ययन विभाग
6.	कुलपति द्वारा नामित भूतपूर्व विद्यार्थी	:	डॉ. कुलदीप कुमार पांडेय
7.	कुलपति द्वारा नामित दो बाह्य विषय विशेषज्ञ	:	1. प्रो. हरमहेंद्र सिंह बेदी, अमृतसर 2. प्रो. नीरजा अरुण, अहमदाबाद

क्रम संख्या पांच से सात तक के सदस्यों का कार्यकाल 02 वर्ष का होगा। तीन सदस्यों की उपस्थिति से कोरम पूरा होगा जिसमें एक बाह्य विशेषज्ञ का उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

यह अधिसूचना सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनोपरांत निर्गत की जा रही है।


कुलसचिव 30/08/19

प्रति, संबंधित सभी

प्रतिलिपि,

- माननीय कुलपति कार्यालय, म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा
- अधिष्ठाता, अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ, म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा
- विभागाध्यक्ष, अनुवाद अध्ययन विभाग, म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा
- लीला प्रभारी, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
- कार्यालय प्रति